राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 211 / SEIAA/2022
Date: 22/4/22

प्रति,

खनिज अधिकारी
जिला, सतना (म.प्र)

विषयः–प्रकरण कमांक 9005/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मारूती इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री सूर्यप्रकाश चौरसिया, निवासी वल्लभ नगर, सतना रोड़ मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 59,375 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 53, 75/2, रकबा 1.892 हेक्टेयर, ग्राम सिलौटी, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण मे सिया की 718वी बैठक दिनांक 12.04.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 3103 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है, जिसका कुल रकबा 3.077 हेक्टेयर है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 ओर अन्य खदान का होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है। जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है।
अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर सतना के माध्यम से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना का पत्र क्र. 716–3224 दिनांक 28.03.2022 प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना का पत्र क्र. 716–3224 दिनांक 28.03.2022 में जावक संख्या एवं पृष्ठांकन क्रमांक भिन्न–भिन्न होना पाया गया है। अतः इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी, सतना से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया 15 दिवस में प्रस्तावित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अभिमत एवं अनापत्ति SEIAA कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 212 /SEIAA/2022 दिनांक – 22/4/22

प्रतिलिपि :–

मेसर्स मारूती इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री सूर्यप्रकाश चौरसिया, निवासी वल्लभ नगर, सतना रोड़ मैहर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी